भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2153

06.08.2026 को उत्तर के लिए

वृक्षों की कटाई के एवज में प्रतिपूरक वनीकरण

2153. श्रीमती सागरिका घोष:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान अवसंरचना परियोजनाओं के लिए काटे गए वृक्षों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे वृक्षों की कटाई के एवज में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किसी स्वतंत्र संपरीक्षा के माध्यम से प्रतिपूरक वृक्षारोपण की उत्तरजीविता का सत्यापन किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) : वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावों पर परिवेश पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है। रूपांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि, प्रस्ताव की श्रेणी, उपयोगकर्ता एजेंसी का विवरण, प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति, परियोजना से प्रभावित वृक्ष, आदि से संबंधित जानकारी 'परिवेश' पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा, राष्ट्रीय एवं राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरणों (काम्पा) द्वारा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करते हुए प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत किए गए वृक्षारोपण-कार्यों की निगरानी प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 और इसके अंतर्गत नियमों में विनिर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाती है। निधि के उपयोग का आकलन करने और प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए वनीकरण संबंधी कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंतरिक एवं तृतीय-पक्ष निगरानी सहित एक व्यापक निगरानी तंत्र का संचालन किया जाता है।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक विगत पांच वर्षों के दौरान, 1,64,072.85 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण का कार्य किया गया है।

इसके अलावा, प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत काटे गए वृक्षों की संख्या से संबंधित जानकारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा रखी जाती है।
